

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/1533

दिनांक :- 8.9.11

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.22 (1) चि.स्वा./2/2010 दिनांक 02.09.11 द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की 20 व 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अकिंत दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 मे ग्रेड पे-6800/- व 7200/- रुपये स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 व 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 व 30 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. बंजरग लाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाडमेर	05-01-52	26-09-79	26-09-99	01-09-09 (3 AGI)
2	डॉ. हमीद हुसैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, उदयपुर	07-08-59	28-08-90	28-08-10	24-09-10 (EOL)
3	डॉ. इन्दू गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	06-09-54	01-07-81	01-07-01	01-09-06
4	डॉ. मालीराम शर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, सीकर	25-01-60	09-08-90	09-08-10	09-08-10
5	डॉ. फुसाराम विश्नाई	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बाडमेर	19-07-56	10-03-84	10-03-04	01-09-06
6	डॉ. फरसराम राठी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बाडमेर	05-05-54	25-07-84	25-07-04	01-09-06
7	डॉ. सगीर अहमद	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, नागौर	27-03-54	01-07-82	01-07-02	01-09-07 (2 AGI NCE)
8	डॉ. श्रीनारायण जोनवाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर	30-01-53	03-09-86	03-09-06	03-09-06
9	डॉ. शरद कुमार पारीक	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बांरा	26-09-55	03-09-86	03-09-06	03-09-06
10	डॉ. सुरेश चन्द गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, जयपुर	26-11-51	01-02-81	01-02-01 01-02-11 (30 Years)	20-10-06 01-02-11 (30 Years)
11	डॉ. गणपत सिंह राठौड	वरिष्ठ चि. अधिकारी	संयुक्त निदेशक, जोन, जोधपुर	20-09-51	01-02-81	01-02-11 (30 Years)	01-02-11 (30 Years)

1	2	3	4	5	6	7	8
12	डॉ. हनुमान सिंह	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, डूंगरपुर	05-07-54	25-09-82	25-09-02	01-09-06
13	डॉ. मधुकान्ता जैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्व. चिकि., झालावाड	14-02-58	09-08-90	09-08-10	09-08-10
14	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, दौसा	23-12-58	03-09-86	03-09-06	03-09-06
15	डॉ. रामेश्वर लाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनु	12-12-48	01-06-79	01-06-99	01-09-06
16	डॉ. रीता जोशी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	09-08-54	14-01-81	14-01-11 (30 Year)	14-01-11 (30 Year)
17	डॉ. सत्यपाल सिंह	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बीकानेर	24-03-60	03-08-90	03-08-10	03-08-10
18	डॉ. सुरेश चन्द जैन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, बून्दी	06-01-61	09-08-90	09-08-10	09-08-10
19	डॉ. विक्रम सिंह	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, हनुमानगढ	15-07-62	09-08-90	09-08-10	09-08-10
20	डॉ. विनोद कुमार चौमाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी, हनुमानगढ	09-09-55	27-02-87	27-02-07	27-02-07

उक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 व 30 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- 4 उक्त कॉलम में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 व 30 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 व 6800 में वेतन प्राप्त कर रहें हैं।

६०
निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- ०९.११.११

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/11/ 1633
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 3 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 4 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 5 अधीक्षक, श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड।
- 6 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।